प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर
सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः (सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012)/01/24

Narendra Singhvi Add: Singhvi house, first floor, 66-K, saheli marg, Saheliyon ki bari, near garden and fountain, Udaipur

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सुनवाई अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट जिला उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012

निर्णय

दिनांकः 28/04/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत एक अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि we have not received any official copy of Order/Judgement after our hearing by the ADM, Udaipur incase number ADM/2024/2 dated 03.07.2024 under the Right to Hearing Act. 2012 till date even after a long period. It has come to our knowledge and understanding that decision under the Right to Hearing Act. 2012 was taken long back after we have received documents under RTI Act. 2005. We are not satisfied withthe pre-decided reply under the Right to Hearing Act. 2012 pronounced by the ADM, Udaipur because our each and every points including our written submission, detailed presentation and many more not taken into account which are based on documentary proof and evidences. In addition to above, we have shown lot of documents in order to prove our stand that applicant is not where in fault at any stage of time, The govt. Officials/authorities which were involved in the corrupt mal practices were nto punished for the reasons not known to us. Therefore, request your king honour to please give su an opportunity for the first appeal under the Right to Hearing Act. 2012.

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को जरिये सूचना पत्र सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी को सुना गया।

प्रकरण में प्रत्यर्थी अति. जिला कलक्टर, एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत निर्णित निर्णय की पावती के संबंध में टिप्पणी/रिपोर्ट चाही गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 प्रकरण संख्या ADM/2024/2 निर्णय दिनांक 03.07.2024 की प्रति आवक–जावक अनुभाग, कार्यालय हाजा में प्रेषित की गयी। प्रभारी अधिकारी, आवक–जावक अनुभाग कार्यालय हाजा से प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्रभारी

अधिकारी, आवक–जावक अनुभो कार्यालय हाजा से ने पत्रांक 03 दिनांक 25.11.2024 द्वारा अवगत कराया कि उक्त निर्णय की प्रति आवेदनकर्ता/परिवादी श्री नरेन्द्र सिंघवी को सहेली मार्ग उदयपुर के पते पर साधारण डाक से दिनांक 16.08.2024 को भिजवाई गई थी। परिवादी श्री नरेन्द्र सिंघवी द्वारा प्रकरण संख्या में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी(अति. जिला कलक्टर) उदयपुर ने पत्रांक 1216 दिनांक 23.11.2024 द्वारा परिवाद द्वारा प्राप्त की गई सूचना की पावली रसीद भिजवाई गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में परिवादी/प्रार्थी नरेन्द्र सिंघवी को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 प्रकरण संख्या ADM/2024/2 निर्णय दिनांक 03.07.2024 की प्रति प्राप्त हो चुका है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

वक्त सुनवाई अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा एक आवासीय भूमि खसरा नंबर 7049/6094, 6095 तथा 7043/6096 गावं काया में श्री विवेक कटारा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी। तथा दिनांक 21.10.2009 के राजस्व रिकार्ड में जरिये नामांतरकरण संख्या 1272 अमल दरामद हुई। उक्त भूमि का कृषि से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उदयपुर की अनापत्ति प्रमाण पत्र जरिये पत्रांक 3088 दिनांक 27.08.2009 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा किया गया। नायब तहसीलदार बारापाल द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना 12 वर्ष बाद दिनांक 25/26.08.2021 को नामांतरकरण को परिवर्तन कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुआवजा राशि दिये बिना भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये जाना null & void है।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं होने से अपील प्रस्तुत की गई साथ ही वक्त सुनवाई निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की आवासीय भूमि का नामान्तरकरण बिना सुनवाई के परिवर्तन कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्राप्ति रसीद अनुसार अपीलार्थी द्वारा निर्णय की प्रति प्राप्त कर ली गई है। जहां तक 12 वर्ष बाद नामान्तरण संख्या 2041 दिनांक 25.08.2021 को निरस्त कर पुनः अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने का प्रश्न है यह कहना उचित है कि नामान्तरण की कार्यवाही अधीनस्थ राजस्व न्यायालय उपतहसीलदार बारापाल द्वारा की गई है एवं पारित निर्णय के विरूद्ध अपील किये जाने के प्रावधान है। सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है। जिसके अनुरूप अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा भी पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी नामान्तरण निरस्त करा भूमि पुनः अपने नाम दर्ज कराना चाहता है जो इस अधिनियम के तहत संभव नही है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी नामांतरकरण की कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोक सुनवाई अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
उदयपुर